UPMZ010057262026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3060 सन 2026

1. समीर
2. अफसर

पुत्रगण उमरदराज

निवासीगण मौहल्ला जामियानगर, थाना खालापार

जनपद मुजफफरनगर

—आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—51 सन 2025

धारा —352, 351 (2), 115 (2)

125, 110 भारतीय न्याय संहिता

थाना—खालापार

जनपद— मुजफ्फरनगर

19.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से खालापार के अपराध संख्या—51 सन 2025 धारा —352, 351 (2), 115 (2), 125, 110 भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उन्हें इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि आरोपित धाराएं सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण को विवेचक द्वारा धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया था। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने विवेचना में सहयोग किया है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण समाज का सभ्य व्यक्ति हैं तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा को धुमिल करने के लिये यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। अंत में कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पूर्व सजायाफता नहीं हैं तथा उसके विरूद्व जो आपराधिक इतिहास बताया गया है उसमें अपराध संख्या 2272 सन 2017 में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था। अपराध संख्या 372 सन 2023 में उसकी जमानत स्वीकार की जा चुकी है, अपराध संख्या 535 सन 2020 में अंतिम आख्या प्रेषित की गयी थी। इस प्रकार अग्रिम

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.19 17:39:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त समीर का इस मामले के अलावा 4 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा मूल पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादिया मुकदमा श्रीमती रूकसाना द्वारा घटना दिनांकित 31.03.2025 समय 18.30 बजे के संबंध में दिनांक 31.03.2025 को समय 21.19 बजे थाना खालापार पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 31.03.2025 को उसका लडका जावेद अपनी बहन प्रवीण के यहां जामियानगर मौहल्ले में ईदी देने गया था। जब वह शाम करीब साढे छह बज वापिस आ रहा था तो जामियानगर तालाब के पास आरिफ, अफसर, समीर मिले जो उसके लडके को देखते ही गाली गलौज करने लगे। मना करने पर जावेद के साथ लाठी डंडो व हथौडे से मारपीट करना शुरू कर दिया। शोर पर आसपास के लोग व लडकी प्रवीण मौके पर आ गयी जिन्हें देखकर अभियुक्तगण पथराव करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उसके लडके ने अपनी डाक्टरी पहले की करा ली थी।

6. अभियोजन कथानक अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया मुकदमा के पुत्र जावेद के साथ गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप बताया गया है।

चुटैल जावेद की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे 6 चोटें आना बताया गया है जिसमें चोट संख्या 1, 2 3 को जेरे निगरानी रखा गया था तथा बाकी चोटों को साधारण प्रकृति की बताया गया है। चुटैल की किसी चोट को प्राणघातक नहीं बताया गया है। तलबीदा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को विवेचक ने धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस दिया था। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने का कोई कथन नहीं है। संबधित थाने की आख्या अनुसार आवेदक/अभियुक्त अफसर का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है बल्कि आवेदक/अभियुक्त समीर का इस मामले के अलावा 4 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है। जिसके संबंध में आवेदक/अभियुक्त की ओर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। विवेचनोपरांत मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **समीर पुत्र उमरदराज एवं अफसर पुत्र उमरदराज** को अंतर्गत अपराध संख्या–51 सन 2025 धारा 352, 351 (2), 115 (2), 125, 110 भारतीय न्याय संहिता, थाना खालापार, जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में अंकन 50,000/– 50,000/– पचास हजार–पचास हजार रूपये के दो दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होंगे।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेंगे।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करेंगे–''अभियुक्तगण विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।''

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेंगे कि, वे विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेंगे। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः **19**.06.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर